

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1807 /2021.लखनऊ:दि0::नवम्बर, 12 ,2021  
--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-1638/2021 दिनांक 01.10.2021 द्वारा लखनऊ में माह-नवम्बर 2021 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया।

सदस्य पीठ-3 कानपुर ने अपने पत्र संख्या- मे0मो0 दिनांक 12.11.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि बरेली में गठित युगल पीठ दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 18.11.2021 में उन्हें विभागीय सदस्य के रूप में नामित किया गया है परन्तु मुख्य सचिव राज्य कर द्वारा उन्हें जी0एस0टी0 से सम्बंधित कतिपय बिन्दुओं पर आख्या प्रस्तुत करने एवं मंत्री समूह की दिनांक 19.11.2021 व दिनांक 20.11.2021 को बैंगलोर में होने वाली बैठक में प्रतिभाग लेने हेतु जाना है। इसलिए उन्हें गठित उक्त युगल पीठ से मुक्त रखते हुए किसी अन्य विभागीय सदस्य को नामित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः सदस्य पीठ-3 कानपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.11.2021 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्व गठित बरेली में युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य पीठ-सहारनपुर को नामित किया जाता है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/12.11.2021

(विनय सिंह)

एच0जे0एस0

प्र0अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/ दो-1(32)/ युगल पीठ/ 1807 /2021.तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ- बरेली/सहारनपुर।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।